



अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

उनवान

..... बनाम
किस्म धारा..... 212 वाद/प्रो.पत्र

मु०नं० 441 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/1/24	<p>प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला शाहपुरा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.9(89) राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील बनेडा का पुनर्गठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा/ खेडलिया/ महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाडा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 21/10/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा</p> <p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त बकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">आदेश के लिए</p> <p>12/9/24 पत्रावली प्राची अखिलता के द्वारा प्रकरण को विडोले करने का प्रस्ताव करने पर पत्रावली तलब की गई प्राची व प्राची अखिलता प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते अपने अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु प्रकरण को विडोले करने की अनुमति प्राची व प्राची अखिलता को प्रकरण विडोले करने की अनुमति प्रदान की जाती है प्रकरण के मसल सुमार खेडर नम्बर से कम किया जावे</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा</p>	